आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री विजय पाल राव, न्यायिक सदस्य तथा
श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 464/इंदौर/2023
निर्धारण वर्ष : 2017-18

सूर्यप्रकाश अरोरा, जी-2/119ए, माईलस्टोन 100 कॉम्प्लेक्स, गुलमोहर कॉलोनी, त्रिलंगा, भोपाल	बनाम	आयकर अधिकारी-2(1), भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एडीएचपीए 5670एल PAN- ADHPA5670L		

अपीलार्थी की ओर से	सुश्री प्रियल जैन, एडवोकेट
राजस्व की ओर से	श्री आर.के.यादव, आयकर आयुक्त विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	03.09.2024
उद्घोषणा तिथि	03.09.2024

आदेश

श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2017-18 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील), एनएफएसी, दिल्ली के आदेश दिनांक 09.10.2023 के विरूद्ध निदेशित है ।

2. इस अपील के संबंध में, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निर्धारिती द्वारा निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश के विरूद्ध आ.अ.सं. 464/इंदौर/2023 भूलवश दाखिल की गई है । निर्धारिती द्वारा इसी आदेश के विरूद्ध एक और अपील दाखिल की गई थी जो आ.अ.सं. 480/इंदौर/2023 के रूप में पंजीकृत की गई थी जिसका माननीय न्यायपीठ द्वारा अधिकरण आदेश दिनांक 07.05.2024 के द्वारा

निपटान किया जा चुका है । इस अधिकरण आदेश दिनांक 07.05.2024 को प्रति दाखिल की गई है । अतः निर्धारिती आ.अ.सं. 464/इंदौर/2023 double appeal होने के कारण इस पर दबाव नहीं डालना चाहता । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त कारण से आ.अ.सं. 464/इंदौर/2023 को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है ।

3. विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि निर्धारिती को वर्तमान अपील वापिस लिए जाने की अनुमति दी जाती है ।

4. दोनों पक्षों के उपरोक्त निवेदनों की दृष्टि में हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

5. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 03.09.2024 को सुनवाई के पश्चात खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया तथा तत्पश्चात लिखित आदेश पारित किया गया ।

हस्ता/-
(विजय पाल राव)
न्यायिक सदस्य

हस्ता/-
(बी.एम. बियाणी)
लेखा सदस्य

दिनांक : 03.09.2024

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फाईल